सं0- 3740/62-2-2014-2/3(19)/2014

सेवा में,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 14 जनवरी,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का क्रय (राज्य सेक्टर) में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र सं0-1793/ल0सिं0/बजट-3/2014-15, दिनांक 26-11-2014 व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण् करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का क्रय (राज्य सेक्टर) में प्राविधानित धनराशि `&50.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-2256/62-2-2014-2/3(19)/2014, दिनांक 03-9-2014 द्वारा धनराशि `&25.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार पूर्व अवमुक्त धनराशि को घटाने/समायोजित करने के पश्चात अवशेष धनराशि `&25.00 लाख (रूपया पच्चीस लाख मात्र) को श्री राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 03-09-2014 में वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

3- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक **"4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजनागत-102-भूजल-03-रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का क्रय-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 में प्रादत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

सं0-3740(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
6- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।
7- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
11- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12- एन0आई0सी0 की प्रति।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in